न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री सी.एल.शर्मा (आर.ए.एस.)

मैन्यूअल प्रकरण संख्या	134/2018
G.C.M.S.प्रकरण संख्या	2019/01456
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	14.08.2018
निर्णय दिनांक	01.02.2021

उनवान

(1) देवा पि.डाऊ गूर्जर नि.नोला का खेड़ा प.म.रतनपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

– प्रार्थी /प्रार्थीगण

बनाम

(1) पानीदेवी पत्नि प्रेमचन्द बलाई वगैरह नि.नोला का खेड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

– अप्रार्थी /अप्रार्थीगण

उपस्थित वकील प्रार्थी / प्रार्थीगण	श्री राधेश्याम पारीक
उपस्थित वकील अप्रार्थी / अप्रार्थीगण	श्री विजयकुमार टेलर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश

(1) प्रार्थी/ प्रार्थीगणों द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया कि प्रार्थी / प्रार्थीगणों की कब्जे काश्त भूमि में आने-जाने बाबत् रास्ता रेकार्ड में दर्ज कराने की कृपा करावें। कृषि भूमि का विवरण निम्नानुसार है –

नाम ग्राम	जमाबन्दी संवत	खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा
जाली	2071-74	74	892/1	0.86

(2) प्रार्थी / प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजियात में आने-जाने हेतु अप्रार्थी / अप्रार्थीगणों की निम्न भूमि में से रास्ता चाहते है –

नाम ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा	भौगोलिक स्थिति
सोजी का खेड़ा	181	0.15	आराजी की दक्षिण मेड़ के सहारे-सहारे

(3) प्रार्थी/प्रार्थीगणों की आराजियात में आने-जाने का उक्त एक मात्र लघुत्तम व निकटतम रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। आवे[illegible] नहीं है। आवेदक को खेतों में आवागमन हेतु रास्ते की परम आवश्यकता है।

(4) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजि[illegible] नोटिस तलब किया गया। सम्मन बाद तामील प्राप्त होकर श[illegible]दार आसीन्द की मौका [illegible] दिनांक 15.10.2020 प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.25 15:18:36 IST
Reason: Self Attested

(5) वकील प्रार्थी /प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में बहस सुने जाने की इस्तदुआ करने पर वकील उभयपक्ष बहस सुनी गयी। वक्त बहस वकील प्रार्थी/प्रार्थीगण का कथन था कि प्रार्थी/प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आने- जाने हेतु रास्ता नियमानुसार प्रतिकर के आधार पर दर्ज रेकार्ड करने का आदेश प्रदान किया जाना न्याय संगत है। प्रार्थी/प्रार्थीगण

सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है यही निकटतम रास्ता है। वकील अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि आ.नं.893 में रास्ता दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी अब दूसरा रास्ता लेना चाहता है। प्रकरण सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार का है।

(6) तहसीलदार आसीन्द ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है कि आवेदक को खेतों में आवागमन हेतु ग्राम जाली में अन्य रास्ता आ.नं.893 रकबा 0.19 गै.मु.रास्ता उपलब्ध है।

(7) बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। रिपोर्ट तहसीलदार आसीन्द / पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार आसीन्द नें अपनी मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रार्थी की आवेदित भूमि पर अन्य रास्ता ग्राम जाली में आ.नं.893 रकबा 0.19 गै.मु.रास्ता उपलब्ध है। तदनुसार प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य होने से यह आदेश सुनाया जाता है कि –

क्रियात्मक – आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रार्थीगण वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से अस्वीकार किया जाता है। **पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर करें। आदेश आज दिनांक 01.02.2021 को खुली अदालत में सुनाया गया।**

सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा
(सी.एल.शर्मा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.25 15:18:36 IST
Reason: SelfAttested